पत्र संख्या-झा०विधि अभि० (विविध)-24/2016 220 /जे०

झारखंड सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

नलिन कुमार
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग |

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव
झारखंड |

रांची दिनांक- 03/02/2022

विषय:- अभियोजन स्वीकृति एवं गृह निर्माण अग्रिम के प्रस्ताव के लिए जांच पत्र के सम्बन्ध में|

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अभियोजन स्वीकृति एवं गृह निर्माण अग्रिम के प्रस्ताव के साथ आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण पृच्छा किया जाता है जिससे मानव श्रम एवं समय की बर्बादी होती है | विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति एवं गृह निर्माण अग्रिम के प्रस्ताव के निमित्त अलग अलग जांच पत्र तैयार किया गया है | प्रशासी विभाग द्वारा प्रस्ताव इस जांच पत्र के अनुरूप कागजातों को संधारित कर तैयार किये जाने पर अनावश्यक पृच्छा से बचा जा सकेगा एवं प्रस्ताव की स्वीकृति में सुगमता एवं सरलता आएगी |

अतः अनुरोध है कि भविष्य में अभियोजन स्वीकृति एवं गृह निर्माण अग्रिम के प्रस्ताव संलग्न जांच पत्र के अनुरूप सभी कागजातों के साथ विधि विभाग को प्रेषित किया जाए |

इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है | अतः इसे अत्यावश्यक समझा जाए|

अनु-02 (दो) जांच पत्र |

विश्वासभाजन

03/02/2022

(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग

अभियोजन स्वीकृति हेतु विधि विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का जांच पत्र

क्रम सं	कथन	अभियुक्ति (पृष्ठ)
1	FIR, औपचारिक प्राथमिकी, लिखित प्रतिवेदन तथा जब्ती सूची की प्रति (जहाँ लागू हो) रक्षित है	
2	स्पष्ट पठनीय अद्यतन काण्ड दैनिनी, पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं electronic evidence/ documents certificate as per section-65B of Indian Evidence Act, if applicable.	
3	अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया है	
4	उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक का अभियोजन स्वीकृति हेतु अनुशंसा	
5	काण्ड से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज (हार्ड कॉपी या कॉपी दस्तावेज) संधारित है	

02/02/2022

नलिन कुमार
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची

गृह निर्माण अग्रिम हेतु विधि विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का जांच पत्र

क्रम सं	कथन	अभियुक्ति (पृष्ठ)
1	क्या फॉर्म के सभी कॉलम में प्रविष्टि की गयी है	
2	फॉर्म विभागाध्यक्ष/ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित है	
3	वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार कर्मी गृह निर्माण अग्रिम प्राप्त करने योग्य है – क्या यह कथन प्रस्ताव में वर्णित है	
4	यदि जमीन CNT की परिधि में है तो sale permission के आदेश की प्रति	
5	sale deed/ Agreement की मूल प्रति रक्षित है	
6	खतियान, दाखिल खारिज/ नामांतरण शुद्धि प्रमाण पत्र, मालगुजारी रसीद की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति रक्षित है	
7	सम्पति अवभार प्रमाण पत्र जिसमे 12 वर्षों से भूमि अवभार मुक्त होने का प्रमाण पत्र रक्षित है	
8	GP का मन्तव्य जिसमे टाईटल, भारमुक्त होने का स्पष्ट कथन, कब्जा इत्यादि दस्तावेजों के प्रमाणिकता के सम्बन्ध में स्पष्ट मन्तव्य है	
9	यदि आवश्यक है तो बंटवारानामा, वंशावली दस्तावेज और अन्य कागजात जिनसे टाइटल प्रमाणित हो की प्रति रक्षित है	
10	यदि उपरोक्त दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी भाषा को छोडकर अन्य भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में हो तो उनकी हिंदी अथवा अंग्रेजी रूपांतरण की प्रमाणित प्रति संचिका में संधारित है	

04/11/2022

नलिन कुमार
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची